अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

ई0आर0 केश सं0– 231/16–17

इस्लाम अंसारी बनाम् नूर मोहम्मद

–: आदेश :–

वर्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर
प्राप्त हुआ है। आवेदक इस्लाम अंसारी, पे0–स्व0 कारू मियां, सा0–कुमरडीह, थाना–बलबड्डा,
जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–कुमरडीह नं0–338, जमाबंदी नं0–24, की जमीन से
विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न
कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा–कुमरडीह नं0–338,
जमाबंदी नं0–24 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट में जमाबंदी रैयत नेआमत मियां वगैरह के नाम
से दर्ज है, जो आवेदक के दादा हैं। विपक्षीगण आवेदक के जमाबंदी नं0–24 के अंदर दाग
नं0–843, 244 को अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से दखल कर लिया है तथा दाग नं0–247 के
अंश पर अवैध निर्माण कर रहा है। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं हैं, बिल्कुल बाहरी
व्यक्ति हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक)
अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उक्त विवादित भूमि से विपक्षी को उच्छेद
करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा संथाल परगना
काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् दाखिल आवेदन न्याय
संगत प्रतीत नहीं होता है। आवेदन में वर्णित जमीन मौजा–कुमरडीह नं0–338 जमाबंदी
नं0–24 गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत नेआमत मियां वो मो0 कपूरन वो मो0 गौरा के
नाम से दर्ज है। मो0 गौरा नावल्द मृत हो गई। विपक्षगण ने अंचल अधिकारी, मेहरमा से
वंशावली प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति संलग्न है। आवेदक एवं विपक्षीगण
जमाबंदी रैयत नेआमत मियां व मो0 कपूरन के वंशज हैं तथा खतियान भी अलग नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में आवेदक का आवेदन बिल्कुल गैर कानूनी प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा
जमाबंदी नं0–24 के अंदर दाग नं0–843, रकवा–00–01–18 धूर जमीन पर वाद दायर
किया गया था, परन्तु जमाबंदी नं0–24 में दाग नं0–843 कहीं वर्णित नहीं है। विपक्षीगण
उपरोक्त भूमि का मालगुजारी जमा कर रसीद संबंधित प्रधान से समय–समय पर प्राप्त
करते आ रहे हैं। आवेदक द्वारा सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना, दुमका के
न्यायालय में मिस केश नं0–13/2010–2011 मो0 इस्लाम मियां बनाम नूर मोहम्मद दायर
किया गया है, जिसमें आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। अंत में विपक्षी
के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

इस न्यायालय के पत्रांक–66/रा0, दिनांक–30.07.2019 द्वारा RER केश
नं0–23/2016–17 से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने
पत्रांक–982/रा0, दिनांक–11.10.2019 से प्रतिवेदित किया है कि मौजा–कुमरडीह नं0–338
जमाबंदी नं0–24 जमाबंदी रैयत नेआमत मियां वल्द भुकरू मियां वो मो0 कपूरन जोजे स...
मियां वो मो0 गौरा जोजे सीधु मियां कॉम मोमीन दर्ज है। दाग नं0–243, किस्म–बाड़ी औवल
रकवा–00–01–18 धूर नेआमत मियां, दाग नं0–244 किस्म–बाड़ी औवल करवा–00–01–1...
धूर दखल मो0 कपूरन, दाग नं0–247 रकवा–00–02–07 धूर मकानमय सहन दखल इजमाई...

महासचिव
जिला बार एसोसि...

सर्वे पर्चा में दर्ज है। जांच के क्रम में आवेदक मु0 इस्माईल अंसारी के द्वारा बताया गया उपरोक्त भूमि पर मुबारक अंसारी, निजामुद्धीन अंसारी वल्द गफूर अंसारी वो आलमगीर अंसारी, पे0–निजामुद्धीन अंसारी, सा0–कुमरडीह द्वारा घर बनाया जा रहा है। विपक्षी के द्वारा बताया गया कि मकान का निर्माण अपने हिस्से की जमीन पर किया जा रहा है। अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा बताया गया कि पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–07, दिनांक–25.02.2012 निर्गत किया गया है, जिसमें नूर मोहम्मद, निजामुद्धीन अंसारी, मुबाकर अंसारी वल्द गफूर मियां जमाबंदी रैयत कपूरन जोजे शतु मियां के परनाती का संबंध दर्शाया गया है। मो0 गौरा जोजे सीधु मियां नावल्द थे, इस संबंध में प्रमाणिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि ये नावल्द फौत कर गए। मौजा के प्रधान द्वारा बताया गया कि मो0 गौरा निःसंतान थे तथा विपक्षीगण नाती पक्ष से संबंधित वारिशान हैं। न्यायालय बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना, दुमका के विविध वाद अपील सं0–45/2012 मु0 इस्लाम अंसारी बनाम नूर मोहम्मद के पारित आदेश में विपक्षीगण का नाम तसदीक पर्चा में विलोपित करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि आवेदक का दावा पक्ष मौखिक तथ्यों पर आधारित है, जिसके आधार पर तसदीक पर्चा में सुधार करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्त्ता मु0 इस्लाम अंसारी का अपील खारिज कर दिया गया है। अंचल कार्यालय, मेहरमा के पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–79, दिनांक–07.03.2018 के अनुसार मु0 महमुद अंसारी, मु0 इस्लाम अंसारी वल्द कारू अंसारी जमाबंदी रैयत नेआमत मियां वगैरह का परपोता है। खेसरा नं0–247 एवं 244 की भूमि पर मुख्य रूप से विवाद कायम है। आवेदक एवं विपक्षीगण इस भूमि पर अपना–अपना दावा करते हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं अभिलेख में सलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है, जिसके निष्पादन हेतु वर्त्तमान न्यायालय सक्षम प्राधिकार नहीं है। पक्षकार चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

05.3.2020

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

05.3.2020

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।